UPJL010093822023

Presented on : 16-12-2023
Registered on : 16-12-2023
Decided on : --
Duration :

IN THE COURT OF
Spl. Judge E.C Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by Smt. Parul Panwar)

ैमेपवद ज्तपंसध्387ध्2023

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट), जालौन स्थान उरई।
सत्र परीक्षण संख्या–387/2023

सरकार बनाम श्रीमती अंजली आदि।
मु0अ0सं0 655/2023
धारा– 307, 120बी भा0दं0सं0 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

11.12.2024 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 14ख अंतर्गत धारा 227 दं.प्र.सं.**

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को प्रार्थना पत्र 14ख के संबंध में पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। आदेश हेतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं केस डायरी आदि प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती अंजली राजपूत की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र 14ख मय शपथ पत्र 15ख अन्तर्गत धारा 227, दं0प्र0सं0 इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी के विरूद्ध विवेचनाधिकारी द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों पर न्यायालय में प्रेषित किया है। प्रार्थिनी ने अपने पति, उक्त केस के मजरूब संजय राजपूत के विरूद्ध कोई आपराधिक षडयंत्र का कार्य नहीं किया, मात्र पुलिस अभिरक्षा में मुल्जिम के बयान के आधार पर प्रार्थिनी को मुल्जिम बना दिया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है तथा पारिवारिक रंजिश के कारण प्रार्थिनी को उक्त केस में पुलिस के सहयोग से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पति/केस के मजरूब संजय राजपूत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जमानत के समय इस बात का शपथ पत्र दिया गया था कि उसने दरोगा जी को धारा 161 दंप्रसं के बयान में प्रार्थिनी द्वारा कोई आपराधिक षडयंत्र की बात नहीं कही है तथा न ही आपराधिक षडयंत्र का कोई साक्षी है। उक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को लगाये गये अभियोग से उन्मोचित करने की याचना की गयी है। ब

अभियोजन पक्ष की ओर से यद्यपि कोई लिखित आपत्ति तो प्रस्तुत नहीं की गयी है, अपितु मौखिक आपत्ति करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता की गवाहों द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता की कथित अपराध में स्पष्ट भूमिका बतायी है तथा मामले के विवेचक द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता की अपराध में संलिप्तता तथा भूमिका के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य

एकत्रित कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 307 व 120बी भादंसं के अपराध की पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के प्रकाश में मैंने पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

<u>धारा 227 दं0प्र0सं0</u> सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त के उन्मोचन का उपबन्ध करती है। इस धारा के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दिये गये दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा। धारा 228, दं0प्र0सं0 सत्र न्यायालय में आरोप विरचन से सम्बन्धित है। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए विर्निदिष्ट प्रकिया के अनुसार, अभियुक्त के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार न होने पर सत्र न्यायाधीश धारा 227, दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त को डिस्चार्ज करने तथा धारा 228, दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अनन्यतः सत्र न्यायालय से विचारणीय मामले की उपधारणा होने पर अभियुक्त के विरूद्व आरोप लगाने हेतु सशक्त है।

धारा 227 दं0प्र0सं0 के स्तर पर अभियुक्त को उन्मोचित करने के प्रयोजन से की जाने वाली जांच का स्तर वह नहीं होता जो अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए होता है। धारा 227 व 228 दं0प्र0सं0 से यह स्पष्ट होता है कि विचारण के शुरू में तथा आरम्भिक स्तर पर उस साक्ष्य की, जिसे पेश करने का अभियोजन ने प्रस्ताव किया है, सत्यता, यथार्थता और प्रभाव पर अति सावधानी से विचार नही किया जाना चाहिए और न ही अभियुक्त की सफाई को कोई महत्व दिया जाना चाहिए। **न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वह विचारण के इस स्तर पर विस्तार से विचार करे और भावुकता की दृष्टि से उसकी इस प्रकार जांच करे कि क्या तथ्य, (यदि साबित हो जाये,) अभियुक्त की निर्दोषता से असंगत है या नहीं।** इस स्तर पर यदि अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर अपराध किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया पूरा संदेह हो जाता है तो ऐसा संदेह आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है।

धारा 227 दं0प्र0सं0 के स्तर पर केवल अभियोजन पक्ष की ओर से एकपक्षीय साक्ष्य होती है और किसी गवाह की जिरह नहीं होती है, इसलिए कोई बात ऐसी नहीं होती है, जिससे कहा जा सके कि पेश किए गए गवाह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए केवल यही देखना रहता है कि क्या प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्व है या नहीं और यदि है तो क्या उससे आरोप लगाया जा सकता है।

<u>धारा 227 दं0प्र0सं0 के स्तर पर अपनी शक्तियों का</u> प्रयोग करते हुए न्यायालय को पुलिस द्वारा पेश किये गये साक्ष्य और दस्तावेजों की विस्तृत परीक्षा नहीं करनी होती है और न ही अभियुक्त को यह कहकर उन्मोचित करना होता है कि अभियोजन द्वारा दिया गया साक्ष्य अनधिसम्भाव्य व असंगत होने के कारण अभियुक्त के दोष को अन्त तक साबित नहीं करता है। इस दशा में न्यायालय से मात्र मामले पर प्रथम दृष्टया विचार करने की अपेक्षा होती है। **<u>कर्नाटक राज्य बनाम मुनीस्वामी ए.आई.आर. 1977 एस.सी.सी. 14119</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जो सामग्री अभिलेख पर है यदि वह ऐसी है कि

उसका कोई विरोध न किया जाये तो अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है, तब यह आरोप लगाने के लिए पर्याप्त आधार है। इस स्तर पर न्यायालय को मामले के अभिलेख और उसके साथ दाखिल किये गए दस्तावेजों पर विचार करना होता है और न्यायालय को यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि आगे क्या साक्ष्य आ सकता है। इस स्तर पर न्यायालय को अभियोजन के मामले के गुणावगुण के बारे में बारीक व लम्बी जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसे विचारण की तरह साक्ष्य की समीक्षा भी नहीं करनी है। जिस स्तर की परख, परीक्षण, सबूत तथा निर्णय की अपेक्षा अभियुक्त को अंतिम रूप से दोषसिद्ध या अन्यथा सिद्ध करने के लिए आवश्यक है, उसकी आवश्यकता धारा 227, 228, 239 या 240, दं0प्र0सं0 के स्तर पर नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने **स्टेट ऑफ उड़ीसा प्रति देवेन्द्र नाथ पाढी 2005 (51) ए0सी0सी0 209** व **स्टेट एण्टी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद प्रति सूर्यप्रकाशन 1999 एस0सी0सी0 (कि0)373** तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **सचिन सक्सेना उर्फ लकी प्रति स्टेट आफ यू0पी0 20011 (62) ए0सी0सी0–454** की निर्णयज विधियों में यह व्यवस्था दी है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय केवल अन्वेषण एजेन्सी द्वारा संकलित साक्ष्य पर विचार करेगा। आरोप के स्तर पर विचारण न्यायालय द्वारा धारा 173 (2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट तथा उसके साथ प्रस्तुत अभिलेखों को ही विचार में लिया जाना चाहिए। इस स्तर पर अभियुक्त को मात्र सुने जाने का ही अधिकार है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को न्यायालय द्वारा इस स्तर पर विचार में नहीं लिया जाएगा। **स्टेट आफ देलही प्रति ज्ञानदेवी एवं अन्य 2001 (42) ए0सी0सी039** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का विस्तृत परीक्षण एवं मूल्यांकन नहीं करना होता है और न ही अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की पर्याप्तता को विचार में लिया जाना होता है। **लियाकत प्रति स्टेट आफ यू0पी0 2011 (62) ए0सी0सी0 453** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ने यह व्यवस्था दी है कि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध करने का प्रबल संदेह होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली एवं केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान अंतर्गत धारा 161 दंप्रसं, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि विवेचना के दौरान अभियोजन साक्षीगण द्वारा विवेचक को दिये गये बयान अंतर्गत धारा 161 दंप्रसं में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की कथित घटना कारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका व संलिप्तता बतायी गयी है और विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली/केस डायरी पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय की निर्णयज विधियों के परिशीलन से न्यायालय इस मत का है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 14खअन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती अंजली राजपूत की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

14ख अंतर्गत धारा 227 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 20.01.2025 को पेश हो।

दिनांकः 11.12.2024

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट),
जालौन स्थान उरई।